

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ०पी०बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 121/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पॉन्डेन्ट
देवाराम गोदपुत्र पुराराम जाति सिरवी निवासी ईसाली तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		1- प्रकाश पुत्र रमेशचन्द्र 2- केसाराम उर्फ किशोर पुत्र रमेशचन्द्र जाति सिरवी निवासी ईसाली तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली 3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन 4- ग्राम पंचायत ईसाली जरिये सरपंच तहसील मारवाड जंक्शन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध आदेश दिनांक 12-7-2016 जिसे उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन
द्वारा राजस्व अपील संख्या 15/2015 अनवान देवाराम बनाम प्रकाश वगैरा मे
पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री सुगनमल, सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री नवल सिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पॉन्ड संख्या 3 की ओर से ।
- 3- शेष रेस्पॉन्ड संख्या 1, 2 एवं 4 बावजूद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 19-5-2022

उक्त अपील-का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ईसाली तहसील पाली के
नामांतरकरण संख्या 557 मे वर्णित भूमि के सहखातेदार पूरा पुत्र दौला के फोट होने पर
उसके 1/3 हिस्से की भूमि वारिसान के रूप मे रमेशचन्द्र पुत्र पूरा (अपीलांट देवा के
प्राकृतिक पिता) के नाम दर्ज करते हुए नामांतरकरण संख्या 557 सरपंच ग्राम पंचायत
ईसाली द्वारा दिनांक 11-10-95 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या
557 की जानकारी होने पर वर्तमान अपीलांट देवाराम गोदी पुत्र पुराराम जाति सिरवी ने
अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर मारवाड जंक्शन के समक्ष नामांतरकरण संख्या 557
के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की,
जिसमे कथन किया कि अपीलांट नामांतरकरण संख्या 557 मे वर्णित भूमि के खातेदार
पूरा का गोदीपुत्र है तथा अपीलांट के पक्ष मे पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 27-2-1973 का
होते हुए अपीलांट देवाराम के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र जो वर्तमान रेस्पॉन्ड संख्या 1 व 2
के भी पिता है, ने अपने आप को पूरा का गोदपुत्र बताकर उक्त अपीलाधीन म्युटेशन
संख्या 557 पारित करवा दिया, जिसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर
अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन ने उनके न्यायालय मे विचाराधीन
अपील को राजस्व लोक अदालत फोलोअप केम्प आउवा मे ले जाकर अपीलांट को सुने
बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12-7-2016 को पारित कर दिया जिसमे यह विवेचन
देते हुए कि मृतक पूरा के उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को
होने एवं इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे होना तथा अपीलांट की अपील को मयाद



बाहर मानकर खारीज कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 12-7-2016 से व्यथित होकर अपीलांत ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 24-11-2016 को प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांत एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । शेष रेसपो बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

अपीलांत अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन थी जिसमें अपीलांत की ओर से उनके अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को केम्प कोर्ट में ले जाकर एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि केम्प में पत्रावली को रखने की सूचना अपीलांत अथवा उनके अधिवक्ता को दिये बिना ही अपीलांत को सुने बिना निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांत ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांत को उनके अधिवक्ता द्वारा दूरभाष पर देने पर अपीलांत ने तुरंत अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर बिना विलंब के अपील प्रस्तुत कर दी थी इसलिए इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपीलांत की उक्त अपील अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांत ने कथन किया कि अपीलांत स्व० खातेदार पूरा का गोदी पुत्र है तथा कथन किया कि खातेदार पूरा ने अपने जीवनकाल में अपीलांत को 6 वर्ष की उम्र में गोद लिया था तथा अपीलांत के पक्ष में गोदनामों का दस्तावेज दिनांक 27-2-1973 को पंजीबद्धसुदा है तथा उक्त गोदनामों में पूरा व अपीलांत के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र स्वयं के द्वारा अपीलांत देवाराम को गोद लेना व देना स्वीकार किया गया था तथा अपीलांत के पक्ष में निष्पादित गोदनामों पर अपीलांत के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र स्वयं के हस्ताक्षर हैं ।

वकील अपीलांत ने कथन किया कि खातेदार पूरा के मृत्यु के समय अपीलांत को पाग बंधाई गई तथा खातेदार पूरा की मृत्यु के बाद अपीलांत देवा द्वारा ही मृत पूरा के पुत्र की हैसियत से तमाम सामाजिक क्रियाक्रम सम्पन्न किये गये परंतु अपीलांत देवाराम के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र ने अपने आप को पूरा का पुत्र बताकर उक्त अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 557 पारित करवा दिया जबकि रमेशचन्द्र के पिता का नाम नवलाजी था ।

वकील अपीलांत ने अपनी बहस में एक कानूनी बिन्दु यह भी प्रकट किया कि अपीलांत के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र जो कि नवलाजी का एकमात्र पुत्र था, नवलाजी के रमेशचन्द्र के अलावा कोई जायंदा संतान नहीं थी इस कारण से भी कानूनन रमेशचन्द्र मृत खातेदार पूरा का गोदी पुत्र नहीं हो सकता । फिर भी नामांतरकरण संख्या 557 बिना किसी दस्तावेज के मृत खातेदार पूरा के गोदीपुत्र की हैसियत से रमेशचन्द्र के पक्ष में स्वीकृत कर दिया, जो विधिविरुद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांत ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के



उपलब्ध नहीं होते हुए केवल रेस्पोंड संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में लिखे गये कथनों को सही मानकर अपीलांत की अपील को खारीज करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलांत देवा के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामे का दस्तावेज रेकॉर्ड पर था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत की अपील को खारीज करने बाबत पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत में वकील अपीलांत ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12-7-2016 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 557 निरस्त कर अपीलांत के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामें के दस्तावेज के अनुसार नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया । वकील अपीलांत ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 770 एवं आर.आर.डी. 2018 पेज 509 की निर्णय नजीरें पेश की ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांत अपने आप को मृत खातेदार पुरा का गोदपुत्र होना बताते हुए गोदनामे के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने का निवेदन किया जबकि उत्तराधिकार एवं गोदपुत्र संबंधी जटिल प्रश्न को तय करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में जो विवेचन देते हुए अपीलांत की प्रथम अपील को खारीज करने बाबत जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांत की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12-7-2016, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 557 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 27-2-73 के दस्तावेज की छायाप्रति तथा वर्तमान रेस्पोंड संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब आदि का तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा उनकी बहस के समर्थन में प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

अपीलांत ने वर्तमान अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-7-2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24-11-2016 को प्रस्तुत की है जिसमें हुए विलंब का कारण अपीलाधीन आदेश अपीलांत को सुने बिना पत्रावली को केम्प में रखकर एकतरफा आदेश पारित किया हुआ होने से केम्प समाप्ति के बाद अपीलांत को उनके अधिवक्ता द्वारा सूचित करने पर उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांत को होना बताया है, जो सद्भाविक कारण होने से अपीलांत की उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांत देवा के पक्ष में मृत खातेदार पूरा पुत्र दौलाजी द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामे के दस्तावेज में अपीलाधीन भूमि के बारे में इस प्रकार स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि "मेरे नाम की मौजा ईसाली के रेकॉर्ड में दर्ज खातेदारी की भूमि का दाखिल खारीज देवा के नाम करा ले जिसमें उसे किसी प्रकार का उजर नहीं होगा।" अपीलांत देवा के पक्ष में निष्पादित गोदनामे का दस्तावेज दिनांक



27-2-73 को उप पंजीयन अधिकारी खारची के कार्यालय में पंजीबद्ध सुदा है तथा उक्त गोदनामों के दस्तावेज पर अपीलान्त देवा के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र स्वयं ने अपीलान्त देवा को मृत खातेदार पूरा के गोद देना स्वीकार किया है तथा उस गोदनामों के दस्तावेज पर रमेशचन्द्र स्वयं के सहमति के हस्ताक्षर हैं तथा अपीलान्त के पक्ष में पंजीबद्ध गोदनामों का दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध होते हुए उसे नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है।

अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 557 खातेदार पूरा वल्द दौला के फोट होने पर उसके हिस्से की खातेदारी भूमि का नामांतरकरण उसके वारिसान के नाम भरना बताते हुए रमेशचन्द्र पुत्र पूरा के नाम स्वीकृत किया गया है जबकि रमेशचन्द्र के पिता का नाम तो नवला था तथा इस तथ्य की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पों संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब के पद संख्या 7 में किये गये उल्लेख से होती है, इस तथ्य पर गौर किये बिना उक्त विधिविरुद्ध स्वीकृत किये गये नामांतरकरण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील को खारीज करने में विधिक त्रुटि की है।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकॉर्ड पर रमेशचन्द्र के पूरा का गोदपुत्र होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य या सबूत उपलब्ध नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नामांतरकरण संख्या 557 के विरुद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील जो कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन में नियमित कोर्ट में चल रही थी तथा अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हो रहे थे, परंतु अपीलान्त के अधिवक्ता को सूचित किये बिना ही पत्रावली को केम्प में ले जाकर अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा रेकॉर्ड पर उपलब्ध पंजीबद्ध गोदनामों के दस्तावेज को नजरअंदाज करते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है।

अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के पैरा संख्या 3 में यह उल्लेख किया था कि रमेशचन्द्र के पिता का नाम नवला है तथा रमेशचन्द्र नवलाजी का एकमात्र पुत्र है एवं नवलाजी के रमेशचन्द्र के अलावा कोई जायंदा संतान नहीं थी तो ऐसी स्थिति में विधिवत रमेशचन्द्र मृत खातेदार पूराजी के गोद जा ही नहीं सकता था फिर भी रमेशचन्द्र को गोदीपुत्र की हैसियत से अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 557 भरा जाकर स्वीकृत कर दिया जो विधिविरुद्ध होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर विचार किये बिना अपीलान्त की प्रथम अपील को खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नहीं होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायसंगत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12-7-2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 557 ग्राम ईसाली को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्त के पक्ष में मृत खातेदार पूरा



द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामे के दस्तावेज दिनांक 27-2-73 तथा अपीलांट के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र को मृत खातेदार पूराजी द्वारा गोद लेने संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध हो, उसकी जांच करे तथा ग्राम ईसाली स्थित मृत खातेदार पूराजी के खातेदारी के हिस्से की भूमि के संबंध मे पुनः नये सिरे से जांच पश्चात नामांतरकरण की विधिसम्मत कार्यवाही करें ।

निर्णय आज दिनांक 19-5-2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ० पी० बिश्नोई)
अतिरिक्त, सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर